मु० नं० 08/15 सरकार / दीपू

16.12.25	पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी उपस्थित। पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर से गैर सायल के सही पते की जानकारी आदिनांक तक अप्राप्त। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल (अप्रार्थी) श्री दीपू पुत्र श्री रामफूल जाति भील मीणा निवासी कुतलपुरा जाटान रेल्वे कॉलोनी, थाना कोतवाली, सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल (अप्रार्थी) के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीबद्ध होना बताया है–

क.स.	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	फैसला दिनांक	फैसला
1	44 / 15	21.02.15	13 आरपीजीओ	15 / 15	24 / 02 / 15	सजा
2	77 / 15	17.03.15	13 आरपीजीओ	24 / 15	31 / 03 / 15	सजा

मु0नं0 44 / 15 एवं मु0नं0 77 / 15 में दर्ज एफ.आई.आर. का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि मु0नं0 44 / 15 में दीपू पुत्र रामफूल जाति भील मीना निवासी कुतलपुरा जाटान रेल्वे कोलोनी, सवाई माधोपुर के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की है जबकि मु0नं0 77 / 15 में दीपू पुत्र रामफूल जाति बैरवा निवासी कुतलपुरा जाटान रेल्वे कोलोनी, सवाई माधोपुर के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की है। इस प्रकार मुताबिक एफ.आई.आर. दोनो अलग–अलग व्यक्ति है किन्तु दोनो व्यक्तियों को एक ही मानकर थानाधिकारी थाना मानटाउन द्वारा गलत इस्तगासा पेश किया गया है। पेश किये गये इस्तगासे में गैर सायल का पता भी सही नहीं है जिस कारण से गैर सायल की 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर भी तलवी नहीं हो पा रही है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर सायल द्वारा गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा सही नहीं होने के कारण प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:35:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner